# न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या – 03/2016

रेखा कुमारी वनाम राज्य

## – :: आदेश :: –

22.7.18

महिला पर्यवेक्षिका पद पर कुमारी मंजू, पति – जवाहर प्रसाद गुप्ता के अवैध नियोजन संबंधी CWJC संख्या – 21983/2013 में दिनांक 25.02.2016 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत अपील रेखा कुमारी, पति अशोक कुमार द्वारा दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार प्रतिपक्षी–2 कुमारी मंजू की अवैध चंयन की जाँच होनी है, क्योंकि चयन हेतु अपीलार्थी के अपेक्षित अहर्त्ता रहते हुए बिना अपेक्षित अहर्त्ता में प्रतिपक्षी मंजू कुमारी का महिला पर्यवेक्षिका पद के लिए चयन कर लिया गया, जबकि ऑगनवाड़ी पर्यवेक्षिका चयन मार्गदर्शिका–2010 के तहत प्रतिपक्षी अपेक्षित अहर्त्ता नहीं रखती थी। अपीलार्थी के स्थान पर प्रतिपक्षी के चयन को लेकर अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सलखुआ प्रखंड के महिला पर्यवेक्षिका पद पर चयन में अनियमितता पाकर इस न्यायालय का चयन के गुण–दोष पर विचार करते हुए निदेशित किया गया है।

प्रतिपक्षी – 2 सिर्फ मंजू है, जबकि चयन मंजू कुमारी का किया गया है। प्रतिपक्षी की अपीलार्थी से कम योग्यता है और गलत प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाकर प्रतिपक्षी द्वारा तथ्य को छिपाया गया। प्रतिपक्षी द्वारा सही जन्मतिथि 05.07.1967 को छुपाया गया है, जबकि प्रतिपक्षी की सही जन्मतिथि 05.07.1968 है। अग्रतर अपीलार्थी का कहना है कि प्रतिपक्षी के इन्टर एवं ग्रेजुऐशन के प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र में नियमित छात्र दिखलाया गया है, जबकि आंगनवाड़ी सेविका के रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी करने की बात कही है, जो आश्चर्य की बात है। इस तरह मेघा सूची के क्रमांक – 1 पर अपीलार्थी को होना चाहिए था न कि प्रतिपक्षी को ओर इसी आधार पर प्रतिपक्षी का चयन रद्द हो जाना है। प्रतिपक्षी आंगनवाड़ी सेविका में कार्यरत रहकर अपनी शैक्षणिक योग्यता नियमित छात्र के रूप में बतायी है, जो स्पष्ट करता है कि सेविका के रूप में उन्होंने दस वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, जो महिला पर्यवेक्षिका के चयन हेतु अपेक्षित अहर्त्ता है। समाहरणालय में कान्सलिंग के लिए 27.06.2011 की तिथि निर्धारित थी तथा अपीलार्थी उक्त तिथि को उपस्थित थी, परन्तु उन्हें नहीं पुकारा गया। इससे विक्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा 29.07.2011 को आयुक्त, कोशी प्रमण्डल से शिकायत भी की गयी। अन्ततः अपीलार्थी ने उभय पक्षों को सुनकर प्रतिपक्षी के चयन को रद्द करने एवं अपीलार्थी को महिला पर्यवेक्षिका पद पर चयनित करने की याचना की है।

प्रतिपक्षी – 2 कुमारी मंजू का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में आयुक्त को अपीलीय प्राधिकार दर्शाया गया है, इसलिए इस न्यायालय में अपील ग्राह्य/अंगकार होने योग्य नहीं है, बल्कि खारीज लायक है। अपीलार्थी को अपील दाखिल करने का कोई हक वो वजह नहीं है। अपीलार्थी का वाद पक्षकार दोष के ग्रसित है क्योंकि अपीलार्थी के द्वारा अन्य पदाधिकारियें को पक्षकान नहीं बनाया गया है। पर्यवेक्षिका का नियुक्ति मार्गदर्शिका के कंडिका–5 चयन के मामले में प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ एक माह के अन्दर अपील दायर करने का प्रावधान है, जो इस मामले में नहीं किया गया। दिनांक 13.07.2010 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर 13 पदों पर महिला पर्यवेक्षिका की नियुक्ति हेतु रोस्टर के अनुसार महिला पर्यवेक्षिका की नियुक्ति हेतु रोस्टर के अनुसार औपबंधिक सूची तैयार कर 10.06.2011 तक दावा/आपत्ति माँगी गयी। दिनांक 20.06.2011 को आपत्ति निराकरण हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी, जिसमें प्रतिपक्षी का मेघा अंक अधिक रहने के कारण अपीलार्थी का नाम हटाने का निर्णय लिया गया। अपीलार्थी ने कोई आपत्ति भी नहीं की। इस तरह प्रतिपक्षी का चयन समिति द्वारा किया गया चयन विल्कुल सही है। प्रतिपक्षी एवं अन्य का नियोजन संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए किया गया था तथा प्रतिपक्षी अद्यतन कार्यरत चली आ रही है। प्रतिपक्षी का यह भी कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश में अपीलार्थी को जिला पदाधिकारी के समक्ष शिकायत पत्र दाखिल करने का निदेश था, जबकि अपीलार्थी ने गलत रूप से अपील दाखिल किया है, जो गलत प्रक्रिया है एवं जिलाधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। प्रतिपक्षी के उम्र संबंधी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त सूचना को सही नहीं बतलाते हुए प्रतिपक्षी का कहना है कि परीक्षा समिति द्वारा नियमानुसार इसे शुद्ध

22.7.18

कर द्वितीय प्रति जिसमें जन्मतिथि 05.07.1967 अंकित है, निर्गत किया गया है। अग्रतर प्रतिपक्षी का कहना है कि नियमित छात्रा के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से परीक्षा में सम्मलित होने हेतु सबंधित पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर परीक्षोतीर्ण हुई है। अपीलार्थी द्वारा काउन्सलिंग की तिथि 27.06.2011 बतलाया गया है जो गलत है। प्रतिपक्षी का यह भी कहना है कि चयन समिति की कार्यवाही चूँकि तत्कालीन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई थी, बिल्कुल सही एवं नियमानुकूल है। आयुक्त के समक्ष 29.07.2011 को की गयी शिकायत के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं किया गया है। इसी तरह तथाकथित आवेदन समय सीमा के बाहर एवं कालबाधित है। उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रतिपक्षी द्वारा खर्च को साथ अपील वाद खारीज करने की याचना की है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उभय पक्षों को बहस दाखिल करने तथा प्रतिपक्षी को मूल प्रमाण – पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया। मूल प्रमाण पत्र में जन्मतिथि के वर्ष में Cutting से संशय उत्पन्न होता है तथा अपीलार्थी द्वारा विपक्षी के जन्मतिथि गलत होने संबंधी तथा नियमित छात्रा संबंधी साक्ष्य दिये गये है। साथ–साथ चूँकि अपीलार्थी भी Conncelling के समय उपस्थित नहीं थी, जबकि समिति द्वारा सभी आपत्तिकर्त्ता के आपत्ति पर विधिवत निर्णय लिया गया था।

अतः प्रतिपक्षी के चयन को रद्द किया जाता है एवं अपीलार्थी के Claim को भी अस्वीकृत किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० पद को रिक्त मानते हुए विभागीय दिशा–निदेशानुसार चयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई करें। मूल अभिलेख एवं प्रतिपक्षी द्वारा दाखिल मूल प्रमाण पत्र वापस करें। लेखापित एवं शुद्धिकृत।

22.2.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

22.2.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1116-2 विधि, सहरसा, दिनांक–27-02-2017.

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

27.02.017

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।